



2026:AHC:176206

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5252 वर्ष 2026

दुर्गेश निषाद @ देवंत

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अजय कुमार, अजय सिंह

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, रायूफ अली

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रायूफ अली, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 179 वर्ष 2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना - सहजनवा, जिला गोरखपुर में अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. अंतिम तिथि यानी 03.08.2026 को शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपक्ष हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिपक्ष हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने के प्रयास के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक का कथित जाली विक्रय विलेख से कोई संबंध नहीं है। वह न तो विक्रेता है, न ही खरीदार और न ही उक्त विक्रय विलेख का मामूली गवाह; आवेदक के बैंक खाते में कोई धन हस्तांतरित नहीं किया गया था। आवेदक पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को धमकी दी है। आवेदक के दो प्रकरणों का आपराधिक इतिहास हलफनामे के प्रस्तर संख्या 22 में बताया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी गणेश यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 17.08.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 8381 वर्ष 2026 के तहत अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और साथ ही शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वे तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य , (2020) 5 एससीसी 1 में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने (जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है), न्याय से भागने (जैसे देश छोड़कर भाग जाना) आदि की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रकरण है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाती है, या प्रकरण जघन्य अपराध का हो, या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर करना आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपार क्षति पहुंच सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, और वास्तव में उसने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई दायित्व नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत याचिका निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक- **दुर्गेश निषाद उर्फ देवंत** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाना के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करे।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विवेचना अधिकारी को सूचना करेगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो; और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

20 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)